संख्याः 2097 /XVII(4)/2013/129/2006

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड, शासन।

सेवा में,

1– प्रमुख सचिव,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

2– प्रमुख सचिव,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

3– निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग देहरादूनः दिनांक 02 सितम्बर, 2013

विषयः आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रो के लाभार्थियों हेतु टी0एच0आर0 (Take Home Ration) एवं कुक्ड फूड की विकेन्द्रित व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम जन्म से 06 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री माताओ के पोषण, स्वास्थ्य एवं उनके विकास पर केन्द्रित विश्व का सबसे वृहद कार्यक्रम है। उक्त कार्यक्रम के द्वारा 06 वर्ष तक के बच्चो का सर्वांगीण विकास–शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, एवं भावनात्मक–सुनिश्चित करना तथा मातृत्व देखभाल को प्रोत्साहित करना है। 12वीं पंचवषीय योजना में इस कार्यक्रम को मिशन के रुप में लागू करते हुये इसके निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये है :–

1. बच्चो में यथा शीघ्र अल्प पोषण से बचाव एवं उसकी दर कम करना।
2. 03 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना।
3. प्रारम्भिक बाल विकास हेतु समेकित प्रयास।
4. परिवारों एवं समुदायों तक पहुँच बनाना।
5. समता को सुनिश्चित करते हुये सामूहिक प्रयास द्वारा असुरक्षित एवं जोखिम श्रेणी के समुदायों तक सेवा की पहुँच सुनिश्चित करना।
6. अन्तर्विभागीय अभिसरण को मजबूत करना।
7. सामाजिक परिवर्तन हेतु महिलाओ एवं बच्चो के अधिकारो को प्रोत्साहन देना।
8. परिव्यय से परिणाम की ओर जाना।

9. उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देते हुए Good Governance सुनिश्चित करना।

2 .आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम का एक मुख्य घटक अनुपूरक पोषाहर योजना है। अनुपूरक पोषाहार योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रो पर पंजीकृत लाभार्थियों को निर्धारित मानकानुसार प्रोटीन एवं एनर्जी की कमी पूरा करते हुए अनूपूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। भारत सरकार द्वारा अनुपूरक पोषाहार के लिए वित्तीय एवं पोषण मानक निम्नानुसार निर्धारित किये है:–

लाभार्थी वर्ग	प्रति लाभार्थी दैनिक वित्तीय मानक	कैलोरी (कि0कैलोरी)	प्रोटीन (ग्राम)
06 माह से 03 वर्ष के बच्चे	6.00 रुपये	500	12–15
03 वर्ष से 06 वर्ष के बच्चे	6.00 रुपये	500	12–15
अति कुपोषित बच्चे	9.00 रुपये	800	20–25
गर्भवती एवं धात्री महिलायें	7.00 रुपये	600	18–20

3. **राज्य में अनुपूरक पोषाहार की निम्नानुसार व्यवस्था वर्तमान में परिचालित है :–**

(क)– **कुक्ड फूड (ताजा पका भोजन)** : आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकृत 03 वर्ष से 06 वर्ष के बच्चो को प्रतिदिन सुबह का नास्ता एवं ताजा पका भोजन दिया जाता है। इस हेतु आंगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर गठित माता समिति के खाते में प्रति लाभार्थी की दर से त्रैमासिक आधार पर धनराशि उपलब्ध करा दी जाती है। माता समिति निर्धारित रेसिपी के आधार पर बाजार दरो पर खाद्यान्न क्रय करते हुये सुबह का नास्ता एवं ताजा पका भोजन उपलब्ध कराती हैं।

(ख)– **टेक होम राशन (THR)**: 06 माह से 03 वर्ष के बच्चो, गर्भवती एवं धात्री माताओ को टी0एच0आर0 के रुप में इण्डिया मिक्स (75 प्रतिशत गेहूं एवं 25 प्रतिशत सोयाबीन का आटा सूक्ष्म पोषक तत्वो के साथ) दिया जाता रहा है। वर्तमान में उक्त पोषाहार की आपूर्ति विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से की जा रही थी।

पूर्व की उक्त दोनो प्रकार की व्यवस्था को निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है:–

(क) **कुक्ड फूड (ताजा पका भोजन)** : आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकृत, 03 वर्ष से 06 वर्ष के बच्चो को प्रतिदिन ताजा पका भोजन दिया जाने की वर्तमान व्यवस्था यथावत रहेगी, किन्तु माता समिति चावल एवं गेहूँ बाजार से क्रय नही करेगी अपितु यह दोनो खाद्यान्न आंगनबाड़ी के क्षेत्र में आने वाली खाद्य विभाग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से उपलब्ध कराये जायेगे। कुक्ड फूड की अन्य सामग्री की व्यवस्था पूर्व शासनादेश के अनुरुप ही सुनिश्चित की जायेगी।

(ख) **टेक होम राशन** : माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशानुसार **महिला मण्डलो, स्वयं सहायता समूहो आदि से मानक के अनुसार टी0एच0आर0** की व्यवस्था सुनिश्चित

होने तक 6 माह से 03 वर्ष के बच्चो, गर्भवती एवं धात्री माताओ को टी0एच0आर0 के रुप में निम्नानुसार खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा :–

क्र0 सं0	खाद्यान्न का नाम	प्रति दिन की दर से (gm)	मासिक खाद्यान्न की कुल मात्रा (Kg.)
1	गेहूं	160.00	4.00
2	चावल	80.00	2.00
3	सोयाबीन अथवा स्थानीय दाले मौसम के अनुसार	50.00	1.25
	कुल मात्रा	**290.00**	**7.25**

इस प्रकार 06 माह से 03 वर्ष के बच्चो, गर्भवती एवं धात्री माताओ को माह में गेहूँ–4.00 किलो, चावल–2.00 किलो एवं सोयाबीन अथवा स्थानीय दाले–1.25 किलो प्रदान की जायेगी, जिनका वितरण मासिक अथवा पाक्षिक आधार पर किया जायेगा। कुपोषित बच्चों को उक्त मात्रा में खाद्यान्न के अतिरिक्त विभाग द्वारा विशेष पौष्टिक आहार/फल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह आंगनबाड़ी केन्द्र पर फिक्स डे एप्रोच के आधार पर स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस एवं प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल दिवस की तिथि का वार्षिक कैलेण्डर सुनिश्चित किया जायेगा। इस तिथि को ए0एन0एम0 अथवा स्वास्थ्य विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र पर समस्त बच्चों का टीकाकरण करने के साथ ही आंगनबाड़ी के सहयोग से बच्चो, गर्भवती महिलाओ एवं किशोरियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं वजन लिया जायेगा तथा इसकी सूचना सम्बन्धित अभिलेख एवं मातृ शिशु रक्षा कार्ड में अंकित की जायेगी।

उक्त तिथि को समस्त कुक्ड फूड के लाभार्थियों एवं टी0एच0आर0 के लाभार्थियों को ताजा पका भोंजन के साथ ही टी0एच0आर0 के बच्चो को दो पैकेट ग्लूकोज बिस्कूट (100 ग्राम प्रति पैकेट) एवं गर्भवती एवं धात्री माताओ को गुड़–250 ग्राम अथवा स्थानीय फल, सूखे मेवे, चौलाई के लड्डू, दूध, अण्डा, आदि पोषाहार वित्तीय सीमा के अन्तर्गत दिये जायेगे।

4. कुक्ड फूड एवं टी0एच0आर0 हेतु खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती है :–

(क) इस हेतु 02 प्रकार के कार्ड जारी किये जायेगें। प्रथम कार्ड माता समिति के लिये जारी किया जायेगा जिसका नाम **"मॉ राजराजेश्वरी अनुपूरक पोषाहार कार्ड"** (माता समिति हेतु) होगा; द्वितीय कार्ड व्यक्तिगत लाभार्थी के लिये जारी किया जायेगा जिसका नाम **"मॉ राजराजेश्वरी पोषण कार्ड"** (व्यक्तिगत लाभार्थी हेतु) होगा। यह कार्ड आई0सी0डी0एस0 विभाग द्वारा तैयार किया जायेगा। जिला पूर्ति अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी के सहयोग से इस कार्ड पर व्यक्तिगत लाभार्थी एवं माता समिति का नाम तथा सम्बन्धित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान का उल्लेख करते हुये सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में इस कार्ड के पंजीकरण, अभिलेखीकरण की वर्तमान व्यवस्थानुसार इसका प्रबन्धन सुनिश्चत

करेगें। कार्डो के पंजीकरण एवं प्रबन्धन की व्यवस्था होने के उपरान्त उक्त कार्ड जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करा दिये जायेगें, जो इन्हें सम्बन्धित परियोजना के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी तथा माता समिति को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। कार्ड गर्भवती/धात्री/लाभार्थी बच्चों के माता के नाम से जारी होगा, जिसमें लाभार्थी बच्चें का नाम भी यथासमय जोड़ा जायेगा।

(ख) जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला पूर्ति अधिकारी के साथ मिलकर प्रत्येक सार्वजनिक वितरण की दुकानो एवं उससे सम्बन्धित किये जाने वाले आंगनबाड़ी केन्द्र/मिनी केन्द्रो, उनके लाभार्थियों एवं सार्वजनिक वितरण की दुकानो से केन्द्र की दूरी की सूची तैयार करेगे। सूची की एक प्रति निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड एवं आयुक्त, खाद्य विभाग, उत्तराखण्ड को प्रेषित की जायेगी। खाद्यान्न का जनपदवार आवंटन निदेशालय आई0सी0डी0एस0 स्तर से निर्धारित होगा एवं इसके बारे में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कुमाऊ/गढ़वाल एवं जिला कार्यक्रम अधिकारियों को सूचित किया जायेगा। निर्धारित आवंटन के आधार पर ही जनपदवार खाद्यान्न का उठान भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से जिला पूर्ति अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रकियानुसार सुनिश्चित कराया जायेगा।

निदेशक, आई0सी0डी0एस0 द्वारा दिये गये खाद्यान्न के आंकलन के अनुसार ही भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से WBNP (Wheat Based Nutrition Programme) के अन्तर्गत खाद्यान्न की मांग की जायेगी। निदेशक, आई0सी0डी0एस0 द्वारा यह प्रयास भी किया जायेगा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से गेहूँ एवं चावल के अतिरिक्त मोटे अनाज यथा मडुँआ, मक्का तथा दालो की मॉग भी की जायें।

(ग) राज्य के आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा WBNP (Wheat Based Nutrition Programme) के अन्तर्गत आवंटित किये जाने वाले खाद्यान्न का उठान राज्य के भारतीय खाद्य निगम (FCI) गोदामो से सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कुमाऊ/गढ़वाल द्वारा अपने जनपदों की मांग के अनुसार किया जायेगा। इसके लिये पूर्व व्यवस्था के अनुसार भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न आवंटित होने के पश्चात निदेशालय आई0सी0डी0एस0 द्वारा समस्त जनपदो की मांग (कूक्ड फूड एवं टी0एच0आर0 सहित) के आधार पर त्रैमासिक अथवा उससे अधिक महीनो हेतु शासन के अनुमोदन से सम्बन्धित खाद्यान्न की धनराशि का भुगतान FCI को करेगे।

FCI को खाद्यान का भुगतान करने के उपरान्त, निदेशक आई0सी0डी0एस0 द्वारा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कुमाऊँ/गढ़वाल, समस्त जिला पूर्ति अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी को उठान किये जाने वाले खाद्यान की मात्रा के सम्बन्ध में अवगत कराते हुये जिला पूर्ति अधिकारी से अपने क्षेत्र के FCI गोदाम से खाद्यान उठान करने के निर्देश दिये जायेगे।

जिला पूर्ति अधिकारी निकटतम एवं सुविधाजनक FCI गोदाम से निर्धारित मात्रा में खाद्यान का उठान कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें। FCI गोदाम से जनपद के गोदामो तक तथा जनपद के गोदामो से सार्वजनिक वितरण की दुकानो तक खाद्यान के

उठान का कार्य जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा उसी व्यवस्थानुसार एवं उन्ही दरो पर सुनिश्चित किया जायेगा, जिस प्रकार की व्यवस्था एवं दरे, मिड डे मील के खाद्यान उठान अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान के उठान में अपनायी जाती है। FCI गोदाम से जनपदो के गोदामो तक तथा जनपदो के गोदामो से सार्वजनिक वितरण की दुकानो तक खाद्यान के उठान की व्यवस्था एवं दरो की सूचना से सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी अवगत कराया जायेगा।

FCI गोदाम से जनपद के गोदामो तक तथा जनपद के गोदामो से सार्वजनिक वितरण की दुकानो तक खाद्यान के उठान में होने वाले व्यय का भुगतान निदेशक, आई0सी0डी0एस0 द्वारा किया जायेगा। इस हेतु निदेशक, आई0सी0डी0एस0 द्वारा धनराशि जिला कार्यक्रम अधिकारी के निवर्तन में रखी जायेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा FCI गोदाम से जनपद के गोदामो तक तथा जनपद के विभिन्न गोदामो से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानो तक खाद्यान के ढुलान में होने वाले व्यय का भुगतान सम्बन्धित जिला पूर्ति अधिकारी को किया जायेगा तथा जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा जनपदो के गोदामो से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानों तक सम्बन्धित ढुलानकर्ताओ द्वारा किये गये ढुलान के व्यय का भुगतान करेगे।

समस्त जिला पूर्ति अधिकारियों को खाद्यान के ढुलान हेतु 03 माह की अग्रिम धनराशि उनकी मांग के अनुसार सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। प्रत्येक माह सम्बन्धित धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जिला पूर्ति अधिकारी सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगें। जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी यह सुनिश्चित करेगे कि ढुलान के कारण लाभार्थियों को खाद्यान की उपलब्धता में विलम्ब न हो।

(घ) कुक्ड फूड, एवं टी0एच0आर0 हेतु प्राप्त खाद्यान एवं उसके वितरण आदि का अभिलेखीकरण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं इस सम्बन्ध में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं निदेशक, आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जायेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से लाभार्थियों द्वारा फिक्स डे अप्रोच के आधार पर खाद्यान्न राशन की दुकान पे प्राप्त किया जायेगा।

(ड.) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्यान के अतिरिक्त, कुक्ड फूड एवं टी0एच0आर0 के लाभार्थियों हेतु नियमानुसार अन्य खाद्यान्न सामग्री का क्रय माता समिति द्वारा स्थानीय बाजार से किया जायेगा। कुक्ड फूड एवं टी0एच0आर0 के लाभार्थियों को दिये जाने वाले सोयाबीन अथवा स्थानीय दालो का क्रय, मौसमी उपज के अनुसार सम्बन्धित दालो की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा, जिससे संतोषजनक मूल्य पर सम्बन्धित दालों का क्रय हो सकेगा तथा स्थानीय फसलों हेतु बाजार भी मिल सकेगा।

(च) कुक्ड फूड, एवं टी0एच0आर0 हेतु माता समिति द्वारा कय किये जाने वाले खाद्या
ईंधन, तथा अन्य समाग्री (बिस्कुट, गुड़, फल, मेवे, साग, सब्जी, नमक, चीनी, खाद्य तेल आदि
) हेतु अग्रिम रुप से धनराशि, माता समिति के खाते में आगामी तीन माह हेतु उपलब्ध कराई
जायेगी। सम्बन्धित धनराशि का रख रखाव, कुक्ड फूड हेतु माता समिति को दी जाने वाली
धनराशि के अनुसार ही पूर्व व्यवस्थानुसार ही किया जायेगा। कुक्ड फूड एवं टी0एच0आर0
हेतु माता समिति द्वारा कय किये जाने समस्त समाग्री की मात्रा, दर आदि तथा सम्बन्धित
धनराशि के प्रबन्धत हेतु निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड अलग से दिशा निर्देश
जारी करेगें।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आंगनबाड़ी के लाभार्थियों को 300 दिवस पोषाहार दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की शतप्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा इससे सम्बन्धित समस्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर खाद्यान्न की उपलब्धता बनी रहे।

6. कुक्ड फूड एवं टी0एच0आर0 के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी की एक समिति गठित की जाती है। यह समिति आंगनबाड़ी केन्द्र तक खाद्यान्न की निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित करेगी तथा यह देखेगी की प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर टी0एच0आर0 एवं कुक्ड फूड के लाभार्थियों को निरन्तर खाद्यान्न/भोजन उपलब्ध हो। **इसके अतिरिक्त उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत वितरित किया जाने वाला खाद्यान्न उचित गुणवत्ता का हो तथा वितरण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने का दायित्व उक्त समिति का होगा।** माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्येक केन्द्र पर 300 दिन पोषाहार उपलबध कराये जाने का लक्ष्य प्राप्त हो सके। जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक केन्द्रवार कुक्ड फूड एवं टी0एच0आर0 के वितरण दिवस की सूचना, **संलग्न–1** प्रारुप पर तैयार करेगे तथा प्रत्येक माह यह सूचना निदेशालय, आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड को प्रेषित की जायेगी। यदि किसी माह केन्द में पोषाहार के वितरण में व्यवधान होता है तो व्यवधान के कारणो को स्पष्ट रुप से अंकित किया जायेगा।

7. कुक्ड फूड एवं टी0एच0आर0 का प्रत्येक 06 माह अथवा 01 वर्ष में वाह्य संस्था से मूल्यांकन कराया जाये। इस मूल्यांकन हेतु दक्ष संस्था का चयन उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 के प्राविधानुसार किया जायेगा। वाह्य संस्था द्वारा मूल्यांकन का कार्य महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड के बजट में प्राविधानित पोषाहार अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मद से किया जायेगा।

8. कुक्ड फूड एवं टी0एच0आर हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्वतन में रखी गई **धनराशि का अग्रिम आहरण कर जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद नाम से खोले जाने वाले पी0एल0ए0 खाते में रखी जायेगी। इस हेतु प्रत्येक जनपद में जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद नाम से पी0एल0ए0 खाता खोला जायेगा।** अग्रिम रूप से आहरित धनराशि में से ढुलान की धनराशि सम्बन्धित जिला पूर्ति अधिकारी को अग्रिम 03 माह हेतु उपलब्ध कराई जायेगी। माता समिति एवं जिला पूर्ति अधिकारी को अग्रिम रूप से दी गई धनराशि के समायोजन हेतु

बिल कोषागार को प्रस्तुत किये जाने होगे। इस हेतु जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा भौतिक एवं वित्तीय उपभोग प्रमाण पत्र दिया जायेगा। इसी प्रकार माता समिति को दी जाने वाली धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा दिया जायेगा। उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर दिया जायेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या– 598 /XXVII(1)/2013 दिनांक 23·8·13 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

संख्याः (1)/XVII(4)/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः –

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाये, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, एन.आर.एच.एम., उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त, मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव